पत्रांक–प्र0–07 / बि0भ0–07–03 / 2018 562 /

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषकः

संजय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना,
सचिव, बिहार विधान सभा,
सचिव, बिहार विधान परिषद,
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,
सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना,
सचिव, मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना,
सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना,
सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना,
सभी पुलिस अधीक्षक

पटना–15, दिनांक 16 जुलाई, 2019

विषयः बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली के कमरों के ऑनलाईन आरक्षण के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि अनुमान्य अधिकारीगणों एवं माननीयों के लिए बिहार निवास एवं बिहार भवन, नई दिल्ली में कमरों एवं गाड़ियों के आरक्षण हेतु विभागीय वेबसाईट का निर्माण एन0 आई0 सी0, बिहार, पटना के माध्यम से किया गया है। उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आरक्षण हेतु आवेदन किया जा सकता है।

इस वेबसाईट पर ऑनलाईन आरक्षण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 343 दिनांक 31 मार्च 1997 के प्रावधानानुसार अनुमान्य अधिकारीगणों एवं माननीयों के लिए ही मान्य हो सकेगा एवं उक्त संकल्प के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं शर्तों (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत् आरक्षण के लिए आवेदन वैध / अनुमान्य हो सकेगा।

गाड़ियों का आरक्षण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 343 दिनांक 31 मार्च 1997 के प्रावधानानुसार लागू होंगी। विभागीय आयुक्त / सचिव स्तर के पदाधिकारियों से न्यून अन्य पदाधिकारियों को सरकारी कार्य हेतु गाड़ियाँ उपलब्धता के अनुसार ही उपलब्ध करायी जा सकेगी। सरकारी बैठक में भाग लेने के लिए गाड़ी अनुमान्य होगी तथा गाड़ी उनके लिए प्रतिक्षा नहीं करेंगी। इसके अतिरिक्त किसी मामले में केवल मंत्रिमंडल सचिवालय अथवा स्थानिक आयुक्त के विशिष्ट आदेश से ही किसी व्यक्ति को भुगतान के आधार पर गाड़ी आवंटित की जा सकती है। साथ ही, ऐसे व्यक्ति जो कि मंत्री नहीं है, जिन्हें केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्टाफ कार का आवंटन नहीं किया जायेगा।

अनुमान्यतानुसार ऑनलाईन आरक्षण के आवेदन से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् है।

1. आरक्षण करने हेतु कृपया वेबसाईट http://e-bhawan.bihar.gov.in पर अपने मोबाईल नम्बर के माध्यम से Log in करें।
2. इसके उपरांत आप उसमें अंकित विवरणानुसार अपना विवरण भरें एवं अपना रंगीन पहचान–पत्र भी अपलोड करें, जिससे आपका निबंधन हो जायेगा एवं आपको आपके मोबाईल फोन नम्बर पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा जो कि भविष्य के लिए भी आरक्षण करने हेतु मान्य होगा एवं आपका यही मोबाईल नम्बर भविष्य हेतु इस वेबसाईट के लिए Log in I.D. होगा।
3. अपने निबंधन मोबाईल फोन नम्बर से Log in करने के उपरांत "Book My Room" Button के विकल्प पर जाकर सभी आवश्यक विवरण को भरें।
4. आरक्षण अवधि को भरते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि आरक्षण के लिए चेक इन एवं चेक आउट का समय प्रत्येक दिन के लिए दोपहर 12 बजे से अगले दिन 12 तक के लिए ही मान्य होगा। अर्थात् उदाहरण स्वरूप अगर आरक्षण अवधि में दिनांक 19 अगस्त, 2019 से 20 अगस्त, 2019 अंकित किया गया है तो इसका अर्थ यह होगा कि कमरा 19 अगस्त, 2019 को दोपहर 12 बजे से 20 अगस्त, 2019 के दोपहर 11.59 बजे तक की आरक्षण हेतु आवेदित समझा जायेगा। अगर कमरे का आरक्षण 19 अगस्त, 2019 से आरंभ करते हुए 20 अगस्त, 2019 की संध्या 8 बजे तक (या दिनांक 20 अगस्त, 2019 को दोपहर 12 बजे के बाद भी परंतु 21 अगस्त, 2019 के पूर्व तक) के लिए आरक्षित करवाना है तो ऐसी स्थिति में आवेदन करते समय आरक्षण अवधि वाले भाग में दिनांक वाले भाग में 19 अगस्त, 2019 से 21 अगस्त, 2019 को अंकित करना होगा।
5. प्रथम बार आरक्षण हेतु आपको अपनी 'पहचान पत्र' को वेबसाईट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
6. सारी विवरणों को भरने एवं आवश्यक कागजात को अपलोड करने के उपरांत इसे SAVE बटन पर जाकर बंद कर दें। इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त हो जायेगी जिसके माध्यम से आप आरक्षण संबंधी 'वर्तमान स्थिति' भी जान सकते हैं।
7. आपके द्वारा वेभसाईट में निबंधित/अंकित किये गये मोबाईल नम्बर पर आरक्षण संबंधी यथास्थिति/निर्णय की सूचना भी ऑनलाईन प्राप्त हो जायेगी।
8. अनुशंसित प्रतिनिधियों का आरक्षण अनुशंसा करने वाले अनुमान्य पदाधिकारियों/माननीयों के Log in I.D. से ही हो सकेगा।
9. उपर्युक्त सुविधा हेतु हेल्प लाईन नम्बर 06122217771 पर भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–प्र0–08/वि0प0/ध्याना0–13–18/2018 562 /पटना–15, दिनांक 16 ~~जून~~ जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 16/7/2019
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

16.7.19